<u>न्यायालयः—साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी</u> <u>जिला—अशोकनगर (म.प्र.)</u>

<u>दांडिक प्रकरण क.-252 / 12</u> संस्थापित दिनांक-13.07.2012 Filling num. 235103003262012

.....आरोपीगण

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन विरुद्ध 1- हल्के पुत्र किशोरी आयु-60 वर्ष। 2- संजय पुत्र हल्के आयु 35 निवासीगण – ग्राम मुरादाबाद चंदेरी

-: <u>निर्णय</u> :-

जिला अशोकनगर म०प्र०

(आज दिनांक 22.03.2017 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 324/34, 323/34 दोबार भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 28.04.2012 को रात्रि 8 बजे ग्राम मुरादपुर में सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में रामरित बाई को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं सामान्य आशय का गठन क सुजान सिह एवं राजाराम को लाठियों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- **02** प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 19.12.2016 को फरियादी, आहत एवं अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो जाने से **आरोपीगण हल्के, संजय** को भा.द.वि की धारा 323/34 दोबार के आरोप से दोषमुक्त किया गया।
- 03— अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादी राजाराम ने अपने पिता सुजान व पत्नी रामरित के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि आरोपी हल्के उसका चाचा है, उनकी जमीन लगी हुई है। उनकी जमीन पर अलग—अलग सब्जि लगी हाँ। दिनांक 28.04.2012 को सब्जि में मवेशी घुस गये, उनने मवेशी नहीं भगाये थे। शाम को उसने कहा कि तुमने मवेशी नहीं भगाये, इसी बात पर चाचा हल्के न भाई संजय ने गाली देने लगे, गाली देने से मना किया तो दोो ने उसकी । वियो से मारपीट कर दी, जिससे उसे दांहिनी कनपटी, माथे में चोटे आई। पिता सुजान, पत्नी रामरित बचाने आये तो दोनो ने उनकी भी लाठियों से मारपीट कर की, पिता के सिर में दोनो पैरो, सीना व जोडो में रामरिती के बांये हाथ के कोचा व दोनो

पैरो कि पिडली में चोटे आई है। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- **04** अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा झूठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।
- 05- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :--
 - 1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक दिनांक 28.04.2012 को रात्रि 8 बजे ग्राम मुरादपुर में सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में रामरित बाई को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी राजाराम अ०सा०1 ने अपने न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानता है। वह आहत सूजान सिह को जानता है वह उसके पिता है एवं आहत रामरती को भी जानता है वह उसकी पत्नी है। उसके पिता सुजान सिंह की लगभग 2 माह पूर्व मृत्यु हो गई है एवं रामरती की मृत्यु दिनांक 20.05.2012 को गई है। घटना करीब 4 वर्ष पूर्व की होकर शाम के 8 बजे की है। घटना दिनांक को आरोपीगण से उनका जमीन में सब्जि के खेत में मवेशी घुस जाने को लेकर वाद विवाद हो गया था। घटना दिनांक को उसने आरोपीगण से कहा था कि उनके मवेशी हमारे खेत में आ गये थे उसने उन्हें भगाया क्यों नहीं, इसी बात पर आरोपी हल्के व संजय से उसका वाद विवाद हो गया था। वाद विवाद में धक्का मुक्की में मुझे हल्की फुल्की खरोच आ गई थी। घटना के समय वाद विवाद की आवाज सुनकर उसके पिता सुजान सिह व पत्नी रामरती बाई बचाने आई तो आरोपीगण का उनसे भी वाद विवाद एवं धक्का मुक्की हो गई थी जिससे उन्हें भी पत्थर पर गिरने से चोटे आ गई थी। इसके अलावा आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की। उसने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना चंदेरी में की थी जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पूलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शामौका प्र.पी.2 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उनकी चोटो के परीक्षण के लिये सरकारी अस्पताल चंदेरी भेजा था जहाँ पर उनकी चोटो का इलाज हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे जो प्र.पी. 3 है।

07— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर फरियादी राजाराम अ0सा1 ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि चाचा हल्के व भाई संजय गालियां देने लगे, गाली देने से मना किया तो दोनो ने उनकी लाठियों से मारपीट कर दी। इस बात से इंकार किया कि उसके दांहिने कनपटी में चोट आई थी। इस बात से इंकार किया कि पिता सुजान सिंह व पत्नी रामरती बचाने आए तो दोनो आरोपी ने उनकी भी लाठियों से मारपीट कर दी। इस बात से इंकार किया कि पिता के सिर में दोनो पैरो और सीने में व रामरित के दोनो हाथो व दोनो पैरो की पिडली में चोटे आई थी। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1 एवं पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढकर सुनाये व समझाये जाने पर साक्षी ने उक्त कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया उसका कारण नहीं बता सकता। इस बात को स्वीकार किया कि उसका आरोपीगण से स्वयं का एवं उसके मृत पिता सुजान सिह एवं मृत पत्नी रामरती की ओर से राजीनामा हो गया है। इस बात से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया कि उसे, सुजान सिंह, एवं रामरित को धक्का मुक्की के दौरान गिरने से चोटे आई थी। आरोपीगण ने उनकी कोई मारपीट नहीं की थी तथा धक्का मुक्की में गिरने से जो चोटे आई थी उसी के संबंध में मेडिकल होना व्यक्त किया।

08- नरेन्द्र सिंह रघुवंशी अ०सा०२ ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह दिनांक 04.05.12 को थाना चंदेरी में आरक्षक के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को उसे अदम चैक क0 240 / 12 के आहत सुजान सिंह, रामरित बाई एवं राजाराम की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। उक्त रिपोर्ट में रामरति बाई को आई चोट धारदार वस्तु से आना लेख किया था जिसके आधार पर उक्त साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. ४ अ०क० १५५/१२ धारा ३२४, ३२३, ५०४/३४ भ०द०वि० के अन्तर्गत लेखबद्ध की थी। डॉ. अजय सिंह अ०सा०३ ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया है कि वह दिनांक 29.04.12 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था और उसके द्वारा आहत सुजान सिह व रामवती और राजाराम का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसमें रामवती को आई हुई चोट धारदार वस्तु से आना व्यक्त किया था। रामकिशोर झरवडे अ०सा०४ ने उसके न्यायालयीन कथनो में व्यक्त किया कि वह दिनांक 04.05.12 को थाना चंदेरी में एसआई के पद पर पदस्थ था और अ०क० 155/12 धारा 324, 323, 504, 34 भा०द०वि० की केस डायरी उसे अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उक्त साक्षी ने राजाराम की निशानदेही पर घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी.2 तैयार किया था एवं साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये थे और आरोपी हल्के व संजय को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक क्रमशः प्र.पी. 8 व 9 तैयार किया था जिसके ए से ए भागो पर उसके हस्ताक्षर है।

09— प्रकरण में आहत रामवती व सुजान सिंह की मृत्यु हो जाने से उनके कथनों का अभाव है एवं आहत रामवती एवं सुजान सिंह की ओर से राजाराम द्वारा उसके

मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि आरोपीगण से उनका जमीन में सब्जि के खेत में मवेशी घुस जाने को लेकर वाद विवाद हुआ था और धक्का मुक्की में उसे व उसके मृत पिता सुजान सिह एवं मृत पत्नी रामवती को गिरने से चोटे आ गई थी, इसके अलावा आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की। चिकित्सीय साक्ष्य में डॉ. अजय सिह द्वारा आहत रामवती को बांयी कलाई कि पिछले हिस्से में एक कटी चोट होना पाया था, किन्तु प्रकरण के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी राजाराम द्वारा घटना में रामवती को धक्का मुक्की में गिरने से चोट आना व्यक्त किया हैं। चिकित्सीय साक्ष्य पुष्टि कारक साक्ष्य होती है और जहां चिकित्सीय साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य में भिन्नता हो वहां प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य को महत्व दिया जाता है क्योंकि चिकित्सीय साक्ष्य केवल पुष्टि कारक होती है एवं अदम चैक रिपोर्ट प्र.पी. 1 में भी आहत रामवती को धारदार वस्तु से मारने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

- 10— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विशलेषण के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 28.04.2012 को रात्रि 8 बजे ग्राम मुरादपुर में सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में रामरित बाई को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। अतः आरोपीगण हल्के, संजय के विरूद्ध धारा 324/34 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 11— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अविध के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 12- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।
- 13— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया। कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0